नगर परिषद नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिकः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद नगरोटा बगवां के लेखों का अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत्त रहेः–

प्रधान नगर परिषद

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती हिमाद्रि सोनी	1.4.14 से 22.2.16
2	श्रीमती स्वर्णा वालिया	23.2.16 से लगातार

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री चमन लाल	1.4.14 से 31.3.16

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरणः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का सार	पैरा सं0	₹ लाखों में
1	बैंक समाधान विवरणी में अन्तर	4 (iv)	0.26
2	अनुदानों का उपयोग न करना	5	7.37
3	गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि	6 (i)	15.24
4	30 गृह करदाताओं से वसूली हेतु शेष राशि	6 (ii)	6.85
5	दुकानों के किराये की वसूली हेतु शेष राशि	7	13.47
6	कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान	8	1.17
7	कर्मचारियों को वेतन के रूप में अधिक भुगतान	9	0.17
8	आपूर्तिकर्ता को अधिक/अनियमित भुगतान	10	0.14
9	आपूर्तिकर्ता को अधिक/अनियमित भुगतान	11	0.10
10	मोबाईल भत्ते के रूप में कार्यकारी अधिकारी को अधिक भुगतान	13	0.05

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद नगरोटा बगवां के लेखों अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 का वर्तमान अंकेक्षण श्री विजय कुमार वालिया, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनांक 16.8.16 से 10.10.16 तक नगरोटा बगवां में किया गया, जिस के परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 12/14, 9/14 व 10/15 तथा 6/15 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई हैं, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं है। अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर परिषद के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क ₹39000/– आँका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या Fin/LAC/K & C2016-44 दिनांक 26.9.2016 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में नगर परिषद द्वारा ड्राफ्ट संख्या 723714 दिनांक 5.10.16 ₹79200 (Including the audit fees of ₹40200 for the period of 2012-13, 2013-14) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

नगर परिषद नगरोटा बगवां अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(क) मुख्य रोकड़ बहीः– (परिशिष्ट "ख" पृष्ठ 1–3)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	स्व स्त्रोत से आय	अनुदान	अन्य	कुल राशि	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	1366221.55	6898735	71332974	–	79597930.55	75967178	3630752.55
2015–16	3630752.55	10260685	11135450	–	25026887.55	22936557.70	2090329.85

दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष ₹2090329.85

दिनांक 31.3.16 को बैंक खातों में शेष ₹2231946.85

बैंक खाता सं0	राशि
PNB A/C No. 16514	171956.55
PNB A/C No. 24823	99951.00
HGB A/C No. 3893	1960039.30
कुल राशि	**₹2231946.85**

बैंक समाधान विवरण

Parti culars		Debit	Credit
Balance a per Cash Book as on 31.3.16		2090329.85	
Cheque issued but not presented for payment:			
Cheque No. 59968 Dt. 02-1-2014	₹5610		
Cheque No. 94117 Dt. 29.03.14	₹4860		
Cheque No. 94517 Dt. 01.07.14	₹12500		
Cheque No. 105984 Dt.25.05.15	₹5060		
Cheque No. 799202 Dt. 4.07.15	₹2450	68207	
Cheque No. 520069 Dt. 21.09.15	₹1425		
Cheque No. 799224 Dt. 21.09.15	₹948		
Cheque No. 799226 Dt.21.09.15	₹3919		
Cheque No. 520091 Dt. 23.10.15	₹4588		
Cheque No. 520097 Dt. 28.12.15	₹4045		
Cheque No. 520616 Dt. 28.12.15	₹1932		
Cheque No. 520657 Dt. 15.03.16	₹12670		
Cheque No. 520655 Dt. 15.03.16	₹7200		
Cheque No. 520654 Dt. 15.03.16	₹1000		
Amount credited in the Pass Book but not taken in Cash Book			
19.03.14	16295		
31.03.14	16295		
05.03.15	20783 (Interest)	75671	
03.12.15	2140		
04.12.15	6659		
29.12.15	6200		
29.12.15	7299		

Income taken in Cash Book but not credited in the Bank			
09.12.14	6575 (Interest taken twice		27913
31.03.16	21338		
Difference		-	25652
Balance as per Pass Book		-	2231946.85
	Total	**2234207.85**	**2234207.85**

(i) जाँच में पाया कि उपरोक्त विवरण अनुसार दिनांक 02.1.2014 से 28.12.2015 तक के ₹47337 का जारी किये गये थे लेकिन यह चैक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गए थे एवं अब यह चैक कालातीत हो चुके है। अतः उक्त चैकों के भुगतान की पुष्टि बैंक से करने के उपरान्त इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही के आय पक्ष में करके समायोजित करना सुनिश्चित करें।

(ii) उक्त विवरणी के अनुसार ₹75671 का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं इसका लेखांकन रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करें।

(iii) जाँच में पाया कि रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2016 को ₹21338 जमा के रूप में दर्शाई गई थी जबकि यह राशि बैंक में जमा नहीं की गई थी जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

(iv) जाँच में पाया कि बैंक समाधान विवरणी में ₹25652/– का अन्तर पाया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने उपरान्त बैंक समाधान विवरण बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) पैन्शन निधिः– (परिशिष्ट "ख" पृष्ठ 4)

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को पैन्शन निधि का अन्तिम शेष निम्नलिखित हैः–

बैंक खाता सं0	राशि
KCCB A/C No. 20012128521	8318

जाँच में पाया कि पैन्शन की रोकड़ बही का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके कारण अंकेक्षण अवधि में आय व्यय का पता नहीं चल सका। अतः पैन्शन की रोकड़ बही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में पैन्शन से सम्बन्धित आय व्यय का रख–रखाव रोकड़ बही में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) ग्रेच्युटी निधिः– (परिशिष्ट "ख" पृष्ठ 4)

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को ग्रेच्युटी निधि का अन्तिम शेष निम्नलिखित हैः–

बैंक खाता सं0	राशि
KCCB A/C No. 20012128532	994083

जाँच में पाया कि ग्रेच्युटी की रोकड़ बही का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके कारण अंकेक्षण अवधि में आय व्यय का पता नहीं चल सका। अतः ग्रेच्युटी की रोकड़ बही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में ग्रेच्युटी से सम्बन्धित आय व्यय का रख रखाव रोकड़ बही में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 **(क) अनुदानः–**

नगर परिषद नगरोटा बगवाँ की अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2014 से 3/2016 तक प्राप्त अनुदान राशियों व व्यय की गई राशियों तथा अनुदान के अन्तशेष राशि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिनका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अनुदान	कुल राशि	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	2808963	71332974	74141937	73405121	736816
2015–16	7361816	11135450	11872266	11135450	736816

विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.3.16 को ₹736816 अनुपयुक्त पड़ी थी जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रो के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक अथवा दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेंक्षित होती है। अतः अनुपयोगी इन अनुदान राशियों को निश्चित अवधि में उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयोगी राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं उद्देश्य जिन हेतु यह राशियाँ प्राप्त हुई थी, व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाये एवं कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) जाँच में पाया कि नगर परिषद को वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के आय–व्यय का विवरण निम्नलिखित है एवं गत दो वर्षों में नगर परिषद द्वारा आय की बढ़ौतरी हेतु सन्तोषजनक प्रयास किए गए है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी बकाया करों की वसूली हेतु विशेष प्रयास किए जाएँः–

वर्ष	स्व स्त्रोत से आय	अनुदान	व्यय
2014–15	6898735	71332974	75967178
2015–16	10260685	11135450	22936558

6 गृहकरः–

(i) गृहकर की बकाया ₹15.24 लाख की वसूली न करनाः–

परिषद की आय का मुख्य साधन गृहकर है जिससे प्राप्त आय को वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है लेकिन नगर परिषद को दिनांक 31.3.16 तक ₹1523759 गृहकर के रूप में वसूलनी शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "घ"** में दिया गया है, जोकि एक अति गम्भीर मामला है। अतः इसे शीघ्र वसूल करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

(ii) 30 गृह करदाताओं से ₹6.85 लाख वसूली हेतु शेषः–

जाँच में पाया कि कुल बकाया गृहकर से ₹684815/– केवल 30 करदाताओं से बकाया थी। अर्थात कुल बकाया गृहकर का 45**%** इन्हीं करदाताओं से बकाया थी जबकि नगर परिषद द्वारा इन करदाताओं को सभी मूलभूत सुविधाएं समय–2 पर उपलब्ध करवाई जा रही है। अतः नियमानुसार इन करदाताओं से गृहकर की वसूली हेतु उचित कदम उठाना सुनिश्चित करें एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। दिनांक 31.3.16 तक उक्त वर्णित गृहकर की बकाया राशि निम्नलिखित करदाताओं से वसूली हेतु शेष हैः–

क्र0सं0	वार्ड सं0	गृहकरदाता का नाम	बकाया राशि
1	1	श्री सतीन्द्र गुप्ता सुपुत्र श्री गोबिन्द गुप्ता	104651
2	1	श्री पवन कुमार सुपुत्र श्री प्रेम चन्द	36420
3	2	श्री राज कुमार सुपुत्र श्री सन्त राम	23238
4	2	श्री प्रदीप चन्द सुपुत्र श्री सुख राम	11634
5	3	श्री सुनील कुमार सुपुत्र श्री सरन दास	21267
6	3	श्री जय दयाल सुपुत्र श्री रोशन लाल	14904
7	3	श्री तेज राम सुपुत्र श्री भरबटू राम	10443
8	3	श्री सुभाष सोनी सुपुत्र श्री बरड मल	15594
9	4	श्री तिलक राज सूद सुपुत्र श्री प्रकाशचन्द	12150
10	4	श्री नरेश बरमानी सुपुत्र श्री दयाल दास	87789
11	4	श्री लखमी दत्त सुपुत्र श्री श्याम लाल	27960
12	4	श्री सुभाष चन्द पठानिया सुपुत्र श्री परस राम	13623
13	4	श्री देश राज सुपुत्र श्री देव दयाल	17652
14	5	श्री गणेश दास सुपुत्र श्री चरण दास	17580
15	5	श्री सुनील, अनिल, वनीत सुपुत्र श्री लछमन दास	16824
16	5	श्री बनवारी राम सुपुत्र श्री ईश्वर दास	20040
17	5	श्री राम कुमार केशव सुपुत्र श्री प्रताप चन्द	12150
18	5	श्री सुभाष चन्द सुपुत्र श्री चुनी लाल	12495
19	5	श्री मनोहर नागापाल सुपुत्र श्री गुरदिता मल	16905

20	5	श्री ओम स्वरूप शर्मा सुपुत्र श्री चुनी लाल	10440
21	5	श्रीमती रत्ना देवी पत्नी श्री सरन दास	36345
22	5	श्री कृष्ण कालरा सुपुत्र श्री गुरदितता मल	14355
23	5	श्री रविन्द्र कुमार सुपुत्र श्री सीता राम	12304
24	6	श्रीमती सावित्रि देवी सुपुत्री श्री मनोहर लाल	20430
25	6	श्री केदार नाथ शर्मा सुपुत्र श्री रिझु राम	17200
26	6	श्री निर्गम शर्मा सुपुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा	14805
27	6	श्री चन्द्र शेखर सुपुत्र श्री दित्तू मल	15516
28	7	श्री वरिन्द्र काइस्था सुपुत्र श्री समिन्द्र काइस्था	17590
29	7	श्री अरविन्द चन्द सुपुत्र श्री अम्मी चन्द	12396
30	7	श्रीमती वीना शर्मा पत्नी श्री नरेश शर्मा	20115
		कुल राशि	**684815**

7 दुकानों से आयः–

दिनांक 31.03.16 तक दुकानों के किराये की बकाया ₹13.47 की वसूली न करनाः–

नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानो ंपर दुकानों/स्टालों/खोखों इत्यादि का निर्माण किया गया है तथा उन्हें किराये/पट्टे पर दिया गया है तथा इनका किराया परिषद की आय का मुख्य स्त्रोत है। नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ"** में दिया गया है, के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक किराये के रूप में ₹1346827/– वसूली हेतु लम्बित थी जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0एल0बी0 एच0ए0 (7)–1/87–9237/9284 दिनांक 20.6.01 के द्वारा करों इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गये थे लेकिन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नगरोटा बगवां द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जोकि एक चिन्ताजनक विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जाएँ। वसूली योग्य कुल राशि में से ₹805963 केवल 15 दुकानदारों से वसूलना शेष थी जिनका विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	दुकान सं0	दुकानदार का नाम	दिनांक 31.3.16 को वसूली योग्य राशि
1	15	Sh. Vinay Sudan S/O Sh. Bhagat Ram	53535
2	35	Sh. Pradeep Chand S/O Sh. Gain Chand	19875
3	39–A	Sh. Sudershan Kumar S/O Sh. Haveli Ram	22820
4	44	Sh. Karam Chand S/O Sh. Butta Ram	25955
5	46	Sh. Jagdish Chand S/O Dulo Ram	24730
6	64	Sh. Rakesh Kumar S/O Sh. Thakur Dass	25200

7	80	Sh. Vipan Kumar S/O Sh. Partap Chand	34360
8	81	Smt. Parveen Kumari W/O Sh.Gain Chand	84478
9	96	Sh. Ajit Kumar S/O Sh. Kuldeep Chand	23650
10	108	Sh. Janam Singh Pathania	88000
11	134	Sh. Pritam Chand	52000
12	136	Sh. Vinay Kumar S/O Sh. Ramesh	51200
13	140	Sh. Kuldip Narain S/O Sh. Parkash Chand	28360
14	142	Sh. Parshant Kumar S/O Sh. Mela Ram	20400
15	145	Sh. Pankaj Kumar S/O Sh. Munshi Ram	251400
		कुल वसूली योग्य राशि	805963

अतः समस्त बकाया किराये की राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 कर्मचारियों को 4:9:14 उच्च्व वेतनमान में गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप ₹1. 17 लाख का अधिक भुगतानः—

वाउचर संख्या 19, दिनांक 20.6.2015 ₹987858/—

नगर परिषद नगरोटा बगवां द्वारा उपरोक्त वाऊचर के अन्तर्गत ₹987858/— का भुगतान अपने कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उच्च्व वेतनमान 4:9:14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त जारी करने के फलस्वरूप बकाया राशि के रूप में दिनांक 9.8.2012 से दिया गया। अंकेक्षण द्वारा कर्मचारियों के उच्च्व वेतनमान 4:9:14 में किये गये वेतन निर्धारण के मामलों की जाँच पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचरियों का वेतन निर्धारण गलत किया गया था जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारियों को बकाया राशि के रूप में ₹116712/—का अधिक भुगतान किया गया है। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए ओर शीघ्र अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली निम्नलिखित कर्मचारियों से करके नगर परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित की जाए।

(i) श्री राजीव पुरी, कनिष्ठ अभियन्ता को ₹0.55 लाख का अधिक भुगतान

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या जोकि शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(B)(7)-1/87-V-141-190 दिनांक 1.4.2015 द्वारा जारी की गई, के अनुसार 4:9:14 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने के उपरान्त कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का सेवाकाल पूरा करने के उपरान्त कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि व उच्च्व वेतनमान दिया गया था जिसका लाभ कनिष्ठ अभियन्ता श्रेणी के कर्मचारियों को देय राजीव पुरी, कनिष्ठ अभियन्ता को भी

जारी कर दिया जिसके फलस्वरूप दिनांक 9.8.2012 से 31.8.2016 तक निम्नविवरणानुसार उक्त कर्मचारी को ₹55088/—का अनियमित अधिक भुगतान किया जा चुका है जिसकी इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

	Due		**Drawn**		**Difference**	**No. of Month**	**Total Excess Paid Amount**
Period	**Basic Pay+G.P.+D.A.**	**Total**	**Basic Pay+G.P.+D.A.**	**Total**			
9.8.12 to 31.8.12	₹13130+3800 ₹12190	₹12190	₹13650+4200 ₹12852	₹30702	₹1582	23 days	₹1174
9/2012	₹13130+3800 ₹12190	₹29120	₹13650+4200 ₹12852	₹30702	₹1582 x	1	₹1582
10/12 to 12/12	₹13130+4800 ₹12910	₹30840	₹13650+4800 ₹13284	₹31734	₹894 x	3	₹2682
1/13 to 6/13	₹13130+4800 ₹14344	₹32274	₹13650+4800 ₹14760	₹33210	₹936 x	6	₹5616
7/13 to 12/13	₹13670+4800 ₹16623	₹35093	₹14210+4800 ₹17109	₹36119	₹1026 x	6	₹6156
1/14 to 6/14	₹13670+4800 ₹18470	₹36940	₹14210+4800 ₹19010	₹38020	₹1080 x	6	₹6480
7/14 to 12/14	₹14230+4800 ₹20362	₹39393	₹14780+4800 ₹20951	₹40531	₹1139 x	6	₹6834
1/15 to 6/15	₹14230+4800 ₹21504	₹40534	₹14780+4800 ₹22125	₹41705	₹1171 x	6	₹7026
7/15 to 6/16	₹14800+4800 ₹23324	₹42924	₹15370+4800 ₹24002	₹44172	₹1248 x	12	₹14976
7/16 to 8/16	₹15390+4800 ₹24026	₹44216	₹15980+4800 ₹24722	₹45497	₹1281 x	2	₹2562
					कुल योग		**55088**

(ii) श्री अशवनी कुमार, बेलदार को ₹0.40 लाख का

श्री अश्वनी कुमार, बेलदार को नगर परिषद नगरोटा बगवां द्वारा दिनांक 5.12.2008 को नियमित किया गया। दिनांक 5.12.2012 से 4 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर नगर परिषद द्वारा उच्च वेतनमान 4:9:14 में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान किया गया जोकि देय नहीं था क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशानुसार दिनांक 1.10.2012 से बेलदार के पद पर श्री अश्वनी कुमार की ग्रेड पे ₹1300 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹1650 प्रतिमाह कर दी गई थी। अतः उक्त कर्मचारी को दिनांक 5.12.2012 से देय नहीं है।

श्री अश्वनी कुमार, बेलदार को दिनांक 5.12.2012 से 31.8.2016 तक किये गये अधिक भुगतान की ₹40033 की वसूली शीघ्र की जाए (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) व कृत

अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। श्री अश्वनी कुमार, बेलदार का वेतन निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था।

Date	Basic Pay +Grace Pay	Total
1-10-12	₹5490+₹1650	₹7140 प्रतिमाह
1-12-12	₹5710+₹1650	₹7360
1-12-13	₹5930+₹1650	₹7580
1-12-14	₹6160+₹1650	₹7810
1-12-15	₹6400+₹1650	₹8050

	Due		Drawn		Difference	No. of Month	Total Excess Paid Amount
Period	Basic Pay+G.P.+D.A.	Total	Basic Pay+G.P.+D.A.	Total			
5.12.12 to 31.12.12	₹5710+1650 ₹5299	₹12659	₹6150+1650 ₹5616	₹13416	₹757 x	27 days	₹659
1/13 to 6/13	₹5710+1650 ₹5888	₹13248	₹6150+1650 ₹6240	₹14040	₹792 x	6 Month	₹4752
7/13 to 11/13	₹5710+1650 ₹6624	₹13984	₹6150+1650 ₹7020	₹14820	₹836 x	5	₹4180
12/2013	₹5930+1650 ₹6822	₹14402	₹6390+1650 ₹7236	₹15276	₹874 x	1	₹874
1/14 to 6/14	₹5930+1650 ₹7580	₹15160	₹6390+1650 ₹8040	₹16080	₹20 x	6	₹552
7/14 to 11/14	₹5930+1650 ₹8111	₹15691	₹6390+1650 ₹8603	₹16643	₹952 x	5	₹4760
12/2014	₹6160+1650 ₹8357	₹16167	₹6580+1650 ₹8806	₹17036	₹896 x	1	₹869
1/15 to 6/15	₹6160+1650 ₹8825	₹16635	₹6580+1650 ₹9300	₹17530	₹895 x	6	₹5370
7/15 to 11/15	₹6160+1650 ₹9294	₹17104	₹6580+1650 ₹9794	₹18024	₹920 x	5	₹4600
12/15 to 8/16	₹6400+1650 ₹9580	₹17630	₹6830+1650 ₹10091	₹18571	₹941 x	9	₹8449
					कुल योग		**₹40033**

(iii) श्री धनू राम मिस्त्री (अधिक भुगतान की गई ₹14631/–)

नगर परिषद द्वारा श्री धनू राम मिस्त्री की उच्च वेतनमान 4:9:14 में वेतन का निर्धारण गलत किया हुआ था जिसके फलस्वरूप ₹14631 का अधिक भुगतान किया गया है जिसका वसूली शीघ्र करके परिषद निधि में जमा करवाई जाए व कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण में

दर्शाई जाए। अधिक भुगतान की राशि का नियमानुसार वेतन निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था।

Date	Basic Pay +Grade Pay	Total
27-8-2009	₹7920+₹1950	₹9870
1-10-2009	₹8220+₹1950	₹10170
A.C.P. 1-10-09	₹8530+₹2000	₹10530
1-10-2010	₹8850+₹2000	₹10850
1-10-2011	₹9180+₹2000	₹11180
1-10-2012	₹9520+₹2000	₹11520
1-10-2013	₹9870+₹2000	₹11870
1-10-2014	₹10230+₹2000	₹12230
A.C.P. 1-10-2014	₹10600+₹2400	₹1300

	Due		Drawn		Difference	No. of Month	Total Excess Paid Amount
Period	**Basic Pay+G.P.+D.A.**	**Total**	**Basic Pay+G.P.+D.A.**	**Total**			
9/2012	₹9180+₹2000+₹8050	₹19230	₹9480+₹2000+₹8266	₹19746	₹516 x	1	₹516
10/12 to 12/12	₹9520+₹2000+₹8294	₹19814	₹9830+₹2000+₹8518	₹20348	₹534 x	3	₹1602
1/13 to 6/13	₹9520+₹2000+₹9216	₹20736	₹9830+₹2000+₹9464	₹21294	₹558 x	6	₹3348
7/13 to 9/13	₹9520+₹2000+₹10368	₹21888	₹9830+₹2000+₹10647	₹22477	₹589 x	3	₹1767
10/13 to 12/13	₹9870+₹2000+₹10683	₹22553	₹10190+₹2000+₹1071	₹23161	₹608 x	3	₹1824
1/14 to 6/14	₹9870+₹2000+₹11870	₹23740	₹1090+₹2000+₹12190	₹24380	₹640 x	6	₹3840
7/14 to 9/14	₹9870+₹2000+₹12701	₹24571	₹10190+₹2000+₹13044	₹25234	₹663 x	3	₹1989
10/14 to 12/14	₹10600+₹2400+₹14690	₹27690	₹10560+₹2400+₹14645	₹27605	₹(-) 85x	3	₹(-)255
					कुल योग		**₹14631**

(iv) श्री सवदेश कुमार, बेलदार को ₹3480 का

श्री सवदेश कुमार, बेलदार की उच्च वेतनमान 4:9:14 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर दी गई वेतन वृद्धि के बकाया राशि के बिल की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि अवधि 4/14 से 6/14 के दौरान तीन माह के बकाया राशि की जगह 6 माह का भुगतान कर दिया गया

था। बकाया राशि की गणना की गलती की वजह से श्री सवदेश कुमार, बेलदार को कुल ₹33439 का भुगतान किया गया है जबकि वास्तव में देय बकाया भुगतान की ₹29959 बनती थी।

अतः अधिक भुगतान की गई ₹3480 की शीघ्र वसूली की जाए तथा कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(v) श्री विनोद कुमार–1 बेलदार को ₹3480 का अधिक भुगतान

श्री विनोद कुमार, बेलदार को भी नगर परिषद द्वारा गणना में गलती की वजह से अवधि 4/14 से 6/14 में 3 माह की जगह 6 माह का भुगतान कर दिया गया है। अतः ₹1160 प्रतिमाह की दर से 3 माह का अधिक भुगतान जोकि ₹3480/– बनता है की वसूली श्री विनोद कुमार–1 बेलदार से शीघ्र की जाए तथा कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

श्री विनोद कुमार बेलदार का उच्च वेतनमान 4:9:14 में कुल बकाया ₹29959 बनता था जबकि नगर परिषद द्वारा उसे ₹33439 का भुगतान किया गया है।

(vi) श्री विपिन कुमार, बेलदार को ₹1250 का अधिक भुगतान

नगर परिषद द्वारा श्री विपिन कुमार, बेलदार को उच्च वेतनमान 4:9:14 में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप बकाया ₹40391 का भुगतान किया गया है। बकाया भुगतान बिल की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि वास्तव में देय भुगतान की ₹39141 बनती थी। जब यह मामला कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में लाया गया तो उन्होंनें अधिक भुगतान की ₹1250 की वसूली कर्मचारी के वेतन माह 9/2016 से कर ली है जिसका सत्यापन कर लिया है।

(vii) श्री हंस राज, बेलदार को ₹1250 का अधिक भुगतान

नगर परिषद द्वारा श्री हंस राज बेलदार को उच्च वेतनमान 4:9:14 में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप बकाया ₹40391/– का भुगतान किया गया है। बकाया भुगतान बिल की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि वास्तव में देय भुगतान ₹39141 बनता था। जब यह मामला कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने अधिक भुगतान की ₹1250 की वसूली कर्मचारी के वेतन माह 9/2016 से कर ली है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।

(viii) श्री नरेश, बेलदार को ₹1250 का अधिक भुगतान

श्री नरेश कुमार, चौकीदार को उच्चवेतनमान 4:9:14 में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप ₹40391 का भुगतान किया गया है जबकि वास्तव में देय भुगतान ₹39141 बनता था। इस प्रकार श्री नरेश कुमार, चौकीदार को ₹1250 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली कर्मचारी के वेतन माह 9/2016 से कर ली गई है और वसूल की गई ₹1250 का सत्यापन अंकेक्षण द्वारा कर लिया गया है।

9 कर्मचारियों के वेतन में ₹0.17 लाख का अधिक भुगतान

वाउचर संख्या 1 दिनांक 1.6.2015 ₹794669

नगर परिषद कर्मचारियों के माह 5/2015 के वेतन भुगतान बिल की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को वेतन का भुगतान देय वेतन से ज्यादा किया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹17174 का अधिक भुगतान किया जा चुका है जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है। अतः अधिक भुगतान की राशि की शीघ्र वसूली की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(क) श्री गुरवचन सिंह, बेलदार को ₹8188 का अधिक भुगतान

नगर परिषद द्वारा श्री गुरवचन सिंह, बेलदार को माह 5/2015 से 8/2015 तक प्रतिमाह मूलवेतन ₹8490 (B.P. ₹6840+G.P.₹1650) की दर से भुगतान किया गया है जबकि उनका मूलवेतन ₹8260 (B.P. ₹6610+G.P.₹1650) प्रतिमाह निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार माह 9/15 से 8/2016 तक मूल वेतन ₹8510 के स्थान पर ₹8750 का भुगतान किया गया है। परिणामस्वरूप इस कर्मचारी को निम्नलिखित विवरण के अनुसार कुल ₹8188 का देय वेतन से अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली सम्बन्धित से की जानी आपेक्षित है।

	Due		**Drawn**		**Difference**	**No. of Month**	**Total Excess Paid Amount**
Period	**Basic Pay+G.P.+D.A.**	**Total**	**Basic Pay+G.P.+D.A.**	**Total**			
5/15 to 6/15	₹8260+₹8838=₹17098	₹17098	₹8490+₹9084	₹17574	₹476 x	2	₹952
7/15 to 8/15	₹8260+₹9334=₹17594	₹17594	₹8490+₹9594	₹18084	₹490 x	2	₹980
9/15 to 12/15	₹8510+₹9616=₹18126	₹18126	₹8750+₹9888	₹18638	₹512 x	4	₹2048

1/16 to 8/16	₹8510+₹1027=₹18637	₹1837	₹8750+₹10413	₹19163	₹526 x	8	₹4208
					कुल योग		**₹8188**

(ख) श्री अमन मेहता ₹8986 का अधिक भुगतान

नगर परिषद द्वारा श्री अमन मेहता, लिपिक को माह 5/2014 से 9/2014 तक प्रतिमाह ₹15210 मूलवेतन (B.P. ₹12010+G.P. ₹3200) का भुगतान किया गया जबकि उनका मूल वेतन ₹14330 प्रतिमाह निर्धारित किया गया था। इस प्रकार श्री अमन मेहता को उक्त अवधि में ₹8986 का अधिक भुगतान किया गया जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से हैः–

	Due		**Drawn**		**Difference**	**No. of Month**	**Total Excess Paid Amount**
Period	**Basic Pay+G.P.+D.A.**	**Total**	**Basic Pay+G.P.+D.A.**	**Total**			
5/14 to 6/14	₹14330+₹14330	₹28660	₹15210+₹15210	₹30420	₹1760 x	2	₹3520
7/14 to 9/14	₹14330+₹15333	₹29663	₹15210+₹16275	₹31485	₹1822 x	3	₹5466
					कुल योग		**₹8986**

जब यह मामला नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने ₹8986 की वसूली कर्मचारी के वेतन से तीन बराबर मासिक किस्तों में माह 9/2016 के वेतन से करवाना शुरू कर दी है जिसका सत्यापन भी कर लिया गया है।

10 ₹0.14 लाख के अधिक भुगतान बारेः–

वाउचर संख्या 25, दिनांक 24.6.2015 ₹117862

उपरोक्त वाउचर की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि ₹117862/– का भुगतान मै0 महाजन ईन्टरप्राईजिज नगरोटा बगवां को चैक संख्या 7'94894 दिनांक 24.6.2015 द्वारा किया गया है। यह भुगतान उन्हें, "Provinding and fixing Railing in newly Constructed Fountain at Gandhi Ground, Nagrota Bagwan" के लिये किया गया है।

जाँच पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद नगरोटा बगवां द्वारा उपरोक्त कार्य को करवाने हेतु कुटेशन दिनांक 25.3.15को मंगवाई गई ओर तीन फर्मों ने अपने रेट निम्न प्रकार से अंकित किये।

क्र0सं0	फर्म का नाम	दर प्रतिकिलोग्राम
1	मै0 आर0बी0 इन्डस्ट्री नगरोटा बगवां	₹95 प्रतिकिलो
2	मै0 आर0के0 स्टील उद्योग, नगरोटा	₹97 प्रतिकिलो
3	मै0 महाजन ईन्टप्राईजिज नगरोटा बगवां	₹90 प्रतिकिलो

नगर परिषद द्वारा न्यूज दर अंकित करने वाली फर्म मै0 महाजन ईन्टरप्राईजिज से Negotiation की और कार्य वर्क आडर संख्या 35 दिनांक 13.4.2015 द्वारा ₹82/– प्रतिकिलो के हिसाब से आबंटित कर दिया। कार्य का पूरा नाम व विवरण इस प्रकार से है। "Steel work welded in Built up section, Trusses and framed work, including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of red lead paint, in grating framed guard bars, ladder"s, railing, brackets and similar work including (a) excavation (b) cement cone 1:2:4"

मै0 महाजन ईन्टरप्राईजिज नगरोटा बगवां द्वारा बिल संख्या 085 दिनांक 15.6.2015 में ₹117862 का दावा निम्नविवरण अनुसार पैश किया।

1263.60Kg @Rs.82 per K.G.	₹103615
VAT @ 13.75 %	₹14247
कुल योग	**₹117862**

उपरोक्त बिल को माप पुस्तिका संख्या 39 के पृष्ठ संख्या 26–27 में दर्ज किया गया है।

उपरोक्त बिल की जाँच पर पाया गया कि VAT (वैट) के भुगतान हेतु कुटेशनों में किसी भी फर्म द्वारा अलग से शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था और न ही नगर परिषद द्वारा निविदा तुलनात्मक विवरणी तथा वर्क आर्डर में वैट के अलग से भुगतान करने बारे कोई उल्लेख किया था।

अतः वैट के रूप में ₹14247/– का भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली चूककर्ता से करके नगर परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

11 वाऊचर संख्या 08, दिनांक 9.9.2014, ₹49967
वाउचर संख्या 31, दिनांक 26.6.2015, ₹32071

नगर परिषद कार्यालय में विभिन्न प्रकार की स्टेशनरी की खरीद मै0 छावड़ा ट्रैडर्ज, फतेहगड़ चौक होशियारपुर (पंजाब) से निम्नलिखित बिलों द्वारा न्यूनदर निविदाओं के आधार पर की गई है। उपरोक्त सामान की खरीद से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच पड़ताल पर निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज की गई जिन बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(i) निविदाएँ तीन फर्मों से प्राप्त की गई जिनके नाम व पते इस प्रकार से हैः–

(क) मै0 छावड़ा ट्रेडर्ज, फतेहगढ़ चौक, होशियारपुर (पंजाब)

(ख) मै0 फेवरिट प्रिटिंग प्रैस, गोरियां गेट, होशियारपुर (पंजाब)

(ग) मै0 सचिदानंद प्रीटिंग प्रैस, फतेहगढ़ चौक, होशियारपुर (पंजाब)

अभिलेख की जाँच पड़ताल में Notice Inviting Qutations पत्र का अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पता चल सके कि नगर परिषद नगरोटा बगवाँ द्वारा उपरोक्त फर्मों से सामान हेतु निविदाऐं मांगी गई थी। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए।

(ii) स्टेशनरी के सामान की खरीद स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को अधिमान न देने के कारणों का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iii) नगर परिषद द्वारा मै0 छावड़ा ट्रेडर्ज होशियारपुर (पंजाब) को सामान की आपूर्ति हेतु कोई आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया गया जिससे यह पता चल सके कि चाही गई वस्तुओं/मदों की प्रमात्रा कितनी थी। अतः आपूर्ति आदेश के जारी न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iv) तीनों फर्मों की निविदाओं में सामान की दर के अतिरिक्त वैट सम्बन्धित कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। अतः वैट के रूप में भुगतान की गई ₹10263 (₹6252+₹4011) का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भुगतान किए गए बिलों का विवरण निम्नलिखित हैः–

(क)	क्र0सं0	बिल सं0	बिल राशि	वैट की राशि	कुल बिल राशि
	1	27	₹8490	₹1214	₹9704
	2	58	₹22823	₹3264	₹26087
	3	103	₹4476	₹640	₹5116
	4	24	₹7926	₹1134	₹9060
		कुल योग	**₹43715**	**₹6252**	**₹49967**
(ख)	1	147	₹3700	₹529	₹4229
	2	52	₹6490	₹28	₹7418

3	64	₹7873	₹1125	₹8998
4	184	₹5105	₹730	₹5835
5	112	₹4892	₹699	₹5591
	कुल योग	**₹28060**	**₹4011**	**₹32071**

अतः बिना किसी शर्त के मै0 छावड़ा ट्रेडर्ज होशियारपुर को वैट के रूप में भुगतान की गई ₹10263 की वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा करवानी सुनिश्चित की जाए।

12 गाड़ी संख्या एच0पी0–40–5499 की लॉग बुक जाँच में डीजल की निर्धारित औसत खपत से कम औसत का दर्शाया जानाः–

उपरोक्त गाड़ी की लॉग बुक की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि दिनांक 3.4.2014 को प्रारम्भिक रिडिंग 63946 दर्शाई गई थी जबकि दिनांक 6.4.2015 को इस गाड़ी की रिडिंग 69425 दर्शाई गई है। अतः इस अवधि के दौरान गाड़ी 5479 किलोमीटर चली है। इस गाडी की तेल खपत औसत 6.50 कि0मी0 सत्यापित की हुई है। उपरोक्त अवधि में इस गाड़ी में निम्नविवरणानुसार तेल डाला गया है।

क्र0सं0	दिनांक	डीजल जो डाला गया
1	3.4.2014	80 लीटर
2	18.4.2014	80
3	15.5.2014	80
4	31.5.2014	80
5	3.6.2014	70
6	20.6.2014	90
7	14.7.2014	90
8	31.7.2014	90
9	28.8.2014	80.70
10	2.10.2014	94.10
11	31.10.2014	94.10
12	9.3.2014	95
13	31.3.2014	95
	कुल योग	**1118.90 ली0**

इस प्रकार इस गाड़ी की औसत डीजल खपत 4.896 प्रति किलोमीटर प्रति लीटर आई दर्ज की गई जबकि इस गाड़ी की सत्यापित Fuel Average 6.50 प्रतिलीटर प्रतिकिलोमीटर आंकी गई है।

इस प्रकार उक्त अवधि में गाडी के चालक द्वारा 275 लीटर डीजल की अधिक खपत लॉग बुक में दर्शाई गई है। वास्तव में डीजल की खपत 843 लीटर आनी चाहिए थी जबकि

चालक द्वारा 1118 लीटर डीजल खपत दर्शाई गई है। अतः चालक द्वारा इस अवधि में 275 लीटर डीजल को अवधि खपत दर्शाये जाने के कारणों का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसकी वसूली बाजारी रेट पर निर्धारित करके प्रभावी की जानी सुनिश्चित की जाए।

लॉग बुक की जाँच पड़ताल की खरीद को किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा न तो सत्यापित किया गया है। भविष्य में तेल खरीद बिलों की प्रविष्टि को जिम्मेवार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सत्यापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 टेलीफोन/मोबाईल भत्ते के रूप में ₹5050 के अधिक भुगतान बारेः—

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(G)-(3)-7/86-V-15817-15867, दिनांक 16.11.2015 द्वारा दिनांक 16.11.2015 से मोबाईन भत्ते को कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के लिए ₹1000 (द्विमासिक) निर्धारित किया गया है। लेकिन अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर अंकेक्षण द्वारा नोट किया गया है कि नगर परिषद द्वारा कार्यकारी अधिकारी को निदेशक के आदेशों के विपरीत यह ₹1000 की दर से प्रतिमाह भुगतान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित विवरण अनुसार कार्यकारी अधिकारी को ₹5050 का अधिक भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा दिनांक 16.11.15 से माह 8/16 तक निम्नविवरण अनुसार ₹5050/— का अधिक भुगतान किया गया है।

क्र0सं0	अवधि	मोबाईल भत्ता जो देय था	भुगतान की गई राशि	अन्तर	अधिक भुगतान की राशि
1	16.11.15 से 30.11.15	₹450	₹1000	₹550	₹550
2	12/15 से 8/16	₹500 प्रतिमाह	₹1000 प्रतिमाह	₹500X9 प्रतिमाह	₹4500
				कुल योग	**₹5050**

अतः कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को मोबाईल भत्ते के रूप में किये गये अधिक भुगतान की ₹5050 की वसूली शीघ्र की जाए और कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई/सत्यापित करवाई जाए।

14 वाऊचर संख्या 10, दिनांक 10.9.2014 ₹4500/—

उपरोक्त बिल/वाउचर की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद नगरोटा बगवां द्वारा कार्यालय प्रयोग हेतु 10 बोरी कोयला की खरीद ₹450 प्रति बोरी की दर से श्री प्रकाश चन्द शर्मा, हबीबपुर नगरोटा बगवां से की गई है जिसका भुगतान उक्त वाऊचर द्वारा

किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोयला खरीद पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। अतः इस प्रतिबन्ध के विपरीत कोयला खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त कोयला की खरीद की स्वीकृति की जाँच करने पर पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नगरोटा बगवां जिस Noting पर यह स्वीकृति प्रदान की है उसमें लिखा गया था कि, "निवेदन है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है पहले आठ बोरियाँ ली थी वह खत्म हो गई है। अब 10 बोरियाँ कोयले की खरीदने की अनुमति दी जाए।

ऐसा प्रतीत होता है कि कोयला खरीद से सम्बन्धित नगर परिषद में उपरोक्त सरकारी आदेश की पालना नहीं की जा रही है। क्योंकि पूर्व में सरकारी कार्यालयों में कोयले का प्रयोग सर्दियों के मौसम में 15 नम्बर के बाद शुरू होता था, जबकि जाँच पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद नगरोटा बगवां द्वारा 8 बोरियाँ कोयले की खरीद अगस्त महीने में ही कर ली और इसकी खपत भी 10 सितम्बर से पहले कर ली गई जोकि उपरोक्त आदेशों की सरासर उल्लंघना का मामला है।

अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित आगामी कार्यवाही हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों के विरूद्ध खरीदे गये 18 बोरी कोयले की कुल ₹8100 की वसूली चूककर्ता से प्रभावी करके नगर परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

15 वाउचर संख्या 26, दिनांक 29.9.2014, ₹126800/–

Name of work C/O Room in Balmiki colony, ward No. 3 Nagrota Bagwan

Nale of contractor Sh. Pawan Thakur

Bill No. 1^{st} Running Bill

M.B.No. 37 Page 3 to 11

उपरोक्त निर्माण कार्य, नगर परिषद नगरोटा बगवां के पत्र संख्या 150–157 दिनांक 10.4.2014 द्वारा ₹296695 में आबंटित किया गया है। (Amount Restricted upto ₹200000 only)

उपरोक्त निर्माण कार्य के बिल/वाउचर व अन्य अभिलेख की जाँच पड़ताल पर निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

1 नगर परिषद द्वारा दिनांक 30.9.2013 द्वारा टैंडर आमन्त्रित किए गए जिसके प्रतिउत्तर में तीन फर्मों ने अपनी निविदाएं दी। सबसे कम दर बारे संविदाकार श्री पवन ठाकुर को कार्य

का आबंटन किया गया। नगर परिषद द्वारा उपरोक्त कार्य के लिए Earnest Money की ₹4000/–निर्धारित की गई थी। Earnest Money की वसूली टैंडर खोलने की निर्धारित तिथि 14.10.2013 को की जानी अपेक्षित थी। अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि नगर परिषद नगरोटा बगवां द्वारा किसी भी संविदाकार से Earnest Money की वसूली किये ही टैंडर खोल दिये गये है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

2 संविदाकार का मद संख्या 4 जोकि, "Provinding form work with steel plates in (A) foundation footing, base of coloumn etc and mass concrete." से सम्बन्धित है, के लिए ₹2908 का भुगतान ₹200 प्रति वर्गमीटर की दर से किया गया है, जबकि इस मद का निविदा में स्वीकृत भुगतान ₹150 प्रतिवर्गमीटर की दर से देय था। अतः अधिक भुगतान की गई ₹728.50 (14.57m2x₹50) की वसूली चूककर्ता से करके नगर परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित की जाए और कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

16 वाउचर संख्या 13, दिनांक 18.6.2015 ₹16662

₹16662/–का भुगतान मै0 भण्डारी बिल्डर नगरोटा बगवाँ को उनके निम्नलिखित बिलों से नगर परिषद द्वारा क्रय मदों की आपूर्ति हेतु किया गया।

क्र0सं0	बिल सं0	दिनांक	राशि
1	1249	8.5.15	₹2006
2	1691	15.5.15	₹796
3	1248	18.5.15	₹6114
4	1274	4.6.15	₹557
5	1271	4.6.15	₹2275
6	1273	4.6.15	₹4914
		कुल योग	**₹16662**

बिल संख्या 1248 दिनांक 18.5.2015 की जाँच पर पाया गया कि भुगतान योग्य ₹5814 बनती थी जबकि फर्म को नगर परिषद द्वारा ₹6114 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार मै0 भण्डारी बिल्डर को ₹300/– का अधिक भुगतान किया गया था। जब यह प्रकरण, कार्यकारी अधिकारी के समक्ष उठाया गया तो उन्होने फर्म से ₹300 की वसूली करके (जी0–8 नं0 28/83 दिनांक 24.8.2016 द्वारा) नगर परिषद निधि में जमा करवा दी है।

17 अग्रिम राशियों के समायोजन बारेः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/2003 के पैरा संख्या 7 के अनुसार ₹668000 के अग्रिम असमायोजित थे। वर्तमान अंकेक्षण के समय नगर परिषद, नगरोटा बगवां द्वारा पूर्ण अभिलेख समायोजन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किये। प्रस्तुत अभिलेख की जाँच पड़ताल के उपरान्त पैरा 7 के क्रम संख्या 1 से 17 में दर्शाई गई अग्रिम धनराशियों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	अग्रिम धन राशि के भुगतान की तिथि	राशि	जिसके नाम भुगतान किया गया	वर्तमान स्थिति
1	21.10.1995	₹3000	श्री वेद प्रकाश (क0अ0)	(यथास्थिति)
2	1.3.96	₹5000	श्री ईन्द्र सिंह	(यथास्थिति)
3	8.4.97	₹2500	श्री वेद प्रकाश	(यथास्थिति)
4	9.3.98	₹2500	श्री वेद प्रकाश	(यथास्थिति)
5	5.10.99	₹100000	श्री वेद प्रकाश	–समायोजित–
6	7.1.2000	₹50000	एच0पी0 एग्रो ई0	–समायोजित–
7	28.1.2000	₹50000		–समायोजित ₹138235
8	9.2.2000	₹50000	श्री वेद प्रकाश	बकाया वसूली हेतु
9	22.2.2000	₹50000		₹11765
10	23.3.2000	₹40000	मै0 भण्डारी बिल्डर्ज	–समायोजित–
11	13.4.2000	₹35000	श्री मनोज कुमार	–समायोजित–
12	23.5.2000	₹25000	श्री वेद प्रकाश	–समायोजित ₹20000 जोकि जी–8 नं0 12/27 दिनांक 16.6.2000 द्वारा जमा करवाई गई शेष वसूली ₹5000
13	25.5.2000	₹70000	एच0पी0एग्रो0ई0	–समायोजित–
14	18.4.2001	₹5000	श्री वेद प्रकाश	–समायोजित ₹4614 शेष वसूली हेतु ₹386
15	1.1.2001	₹100000	श्री चन्द्रशेखर (ठेकेदार)	–समायोजित–
16	3/2001	₹30000	श्री विकास पुरी (ठेकेदार)	–समायोजित–
17	16.7.2002	₹50000	श्री सुरेश चन्द (ठेकेदार)	–समायोजित–

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—**यह अलग सें जारी नहीं की गई है।

19 **निष्कर्षः—**नगर परिषद के लेखों का रख—रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। लेखों के रख—रखाव में सुधार व अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15) V 53/75 खण्ड—4— 1861—1862 दिनांकः 27.03.2017, शिमला—171009

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002
2. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता / —
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

परिशिष्ट "क"　　　　　　पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/73 से 3/76

1	पैरा–2 (d)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (c)	अनिर्णीत
3	पैरा–10 (a)	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (c)	अनिर्णीत
5	पैरा–11 (b)	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (b)	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (b)	अनिर्णीत
9	पैरा–18 (a)	अनिर्णीत
10	पैरा–18 (b)	अनिर्णीत
11	पैरा–19 (a) to (c)	अनिर्णीत
12	पैरा–21 (b)	अनिर्णीत
13	पैरा–24 (a to g)	अनिर्णीत
14	पैरा–25	अनिर्णीत
15	पैरा–26	अनिर्णीत
16	पैरा–27	अनिर्णीत
17	पैरा–28	अनिर्णीत
18	पैरा–29	अनिर्णीत
19	पैरा–30	अनिर्णीत
20	पैरा–32 (g)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/78

1	पैरा–6 (1 & 2)	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत

4	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–19 (1) से (3)	अनिर्णीत
6	पैरा–20	अनिर्णीत
7	पैरा–21 (a) to (c)	अनिर्णीत
8	पैरा–21 (e) to (g)	अनिर्णीत
9	पैरा–22 (1)	अनिर्णीत
10	पैरा–22 (3)(4)	अनिर्णीत
11	पैरा–23	अनिर्णीत
12	पैरा–24	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/78 से 3/81

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–13 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–14 (4) से (7)	अनिर्णीत
4	पैरा–16 (1) से (4)	अनिर्णीत
5	पैरा–17	अनिर्णीत
6	पैरा–18	अनिर्णीत
7	पैरा–21	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/81 से 3/83

1	पैरा–5 (d)	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–11 (a)(b)	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–14 (a)(b)	अनिर्णीत
8	पैरा–15 (a)(b)	अनिर्णीत
9	पैरा–16	अनिर्णीत
10	पैरा–17	अनिर्णीत

11	पैरा–18 (a)(b)	अनिर्णीत
12	पैरा–19 (a)(b)	अनिर्णीत
13	पैरा–20	अनिर्णीत
14	पैरा–21 (a)(b)	अनिर्णीत
15	पैरा–22	अनिर्णीत
16	पैरा–24	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/87

1	पैरा–5 (a) to (d)	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–12	अनिर्णीत
5	पैरा–13	अनिर्णीत
6	पैरा–14	अनिर्णीत
7	पैरा–15	अनिर्णीत
8	पैरा–16	अनिर्णीत
9	पैरा–17	अनिर्णीत
10	पैरा–18	अनिर्णीत
11	पैरा–20	अनिर्णीत
12	पैरा–21	अनिर्णीत
13	पैरा–22	अनिर्णीत
14	पैरा–23	अनिर्णीत
15	पैरा–24	अनिर्णीत
16	पैरा–25	अनिर्णीत
17	पैरा–26	अनिर्णीत
18	पैरा–28	अनिर्णीत
19	पैरा–30 (1)	अनिर्णीत
20	पैरा–30 (3) से (5)	अनिर्णीत
21	पैरा–30 (7 व 9)	अनिर्णीत
22	पैरा–31 (1)(2)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/90

1	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा–13 (1) से (4)	अनिर्णीत
4	पैरा–13 (7)	अनिर्णीत
5	पैरा–13 (9) (क) (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा–13 (10)	अनिर्णीत
7	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (11)	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (22)(23)	अनिर्णीत
10	पैरा–15 (10)(11)(13)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/95

1	पैरा–4 (1) से (3)	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा–11	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–15(1 से 7)	अनिर्णीत
8	पैरा–15 (8) (3 से 11)	अनिर्णीत
9	पैरा–15 (9)	अनिर्णीत
10	पैरा–15 (11)	अनिर्णीत
11	पैरा–15 (15)	अनिर्णीत
12	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत
13	पैरा–17 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा–17 (1, 2, 4, 5 व 6)	अनिर्णीत

15	पैरा—20	अनिर्णीत	
16	पैरा—21 (1)(2)	अनिर्णीत	
17	पैरा—21 (5) से (7)	अनिर्णीत	
18	पैरा—21 (9)	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/03

1	पैरा—4 (1) से (5)	अनिर्णीत	
2	पैरा—6 (1) से (3)	अनिर्णीत	
3	पैरा—7	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति पुनः प्रारूपित कर दी गई)
4	पैरा—9	अनिर्णीत	
5	पैरा—11	अनिर्णीत	
6	पैरा—12	अनिर्णीत	
7	पैरा—13	अनिर्णीत	
8	पैरा—14	अनिर्णीत	
9	पैरा—15	अनिर्णीत	
10	पैरा—17	अनिर्णीत	
11	पैरा—18	अनिर्णीत	
12	पैरा—20	अनिर्णीत	
13	पैरा—21	अनिर्णीत	
14	पैरा—23	अनिर्णीत	
15	पैरा—24	अनिर्णीत	
16	पैरा—25	अनिर्णीत	
17	पैरा—26	अनिर्णीत	
18	पैरा—27	अनिर्णीत	
19	पैरा—28	अनिर्णीत	
20	पैरा—29	अनिर्णीत	
21	पैरा—30	अनिर्णीत	
22	पैरा—31	अनिर्णीत	

23	पैरा–32	अनिर्णीत
24	पैरा–33	अनिर्णीत
25	पैरा–34	अनिर्णीत
26	पैरा–35	अनिर्णीत
27	पैरा–37	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/03 से 3/07

1	पैरा–2 (a)	अनिर्णीत
2	पैरा–2 (b)(i)	अनिर्णीत
3	पैरा–2 (b)(iii) (iv)	अनिर्णीत
4	पैरा–3	अनिर्णीत
5	पैरा–3 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (i)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (iii) (iv)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (viii) to (x)	अनिर्णीत
9	पैरा–5 (I) (II)	अनिर्णीत
10	पैरा–5 (ix)	अनिर्णीत
11	पैरा–6 (i)	अनिर्णीत
12	पैरा–6 (iii)	अनिर्णीत
13	पैरा–6 (vi) (a) (b)	अनिर्णीत
14	पैरा–6 (vii)	अनिर्णीत
15	पैरा–6 (x) (xi)	अनिर्णीत
16	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत
17	पैरा–7 (i)(b)	अनिर्णीत
18	पैरा–7 (ii)	अनिर्णीत
19	पैरा–7 (ii)(b)	अनिर्णीत
20	पैरा–7 (iii)	अनिर्णीत
21	पैरा–7 (iv)(a) (b)	अनिर्णीत

22	पैरा–7 (v) (vi)	अनिर्णीत
23	पैरा–7 (viii)	अनिर्णीत
24	पैरा–7 (viii) (a) to (c)	अनिर्णीत
25	पैरा–7 (x)	अनिर्णीत
26	पैरा–8	अनिर्णीत
27	पैरा–10 (i) to (iii)	अनिर्णीत
28	पैरा–11	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/09

1	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (ii)	अनिर्णीत
3	पैरा–8 (i)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (i)	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–14 (i) to (v)	अनिर्णीत
8	पैरा–15	अनिर्णीत
9	पैरा–16	अनिर्णीत
10	पैरा–17 (i)(ii)	अनिर्णीत
11	पैरा–18	अनिर्णीत
12	पैरा–19	अनिर्णीत
13	पैरा–20	अनिर्णीत
14	पैरा–21	अनिर्णीत
15	पैरा–22	अनिर्णीत
16	पैरा–24	अनिर्णीत
17	पैरा–26	अनिर्णीत
18	पैरा–27	अनिर्णीत
19	पैरा–28	अनिर्णीत
20	पैरा–29 (i) (ii)	अनिर्णीत
21	पैरा–30	अनिर्णीत

22	पैरा—31	अनिर्णीत
23	पैरा—32	अनिर्णीत
24	पैरा—34 (i) (ii)	अनिर्णीत
25	पैरा—35	अनिर्णीत
26	पैरा—36 (i) (ii)	अनिर्णीत
27	पैरा—37	अनिर्णीत
28	पैरा—38	अनिर्णीत
29	पैरा—39	अनिर्णीत
30	पैरा—40	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/09 से 3/12

1	पैरा—4.2	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में कर दी गई है)
2	पैरा—4.3	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में कर दी गई है)
3	पैरा—4.3.1	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में कर दी गई है)
4	पैरा—4.3.2	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में कर दी गई है)
5	पैरा—5.1	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में कर दी गई है)
6	पैरा—5.2	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
7	पैरा—5.4	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
8	पैरा—5.5	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
9	पैरा—5.6	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)

10	पैरा–5.7	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में कर दी गई है)
11	पैरा–5.8	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
12	पैरा–5.9	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
13	पैरा–6.1	निर्णीत	(नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 666 (ठ) दिनांक 13.8.2014 में मोबाईल भत्ते का अनुमोदन कर दिया गया था एवं श्री देश राज चौधरी, कार्यकारी अधिकारी को अधिक भुगतान की गई ₹5200 की वसूली रसीद संख्या 46/92 दिनांक 1.12.2016 से कर ली गई है। अतः पैरे का समायेाजन कर दिया गया)
14	पैरा–6.3	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
15	पैरा–6.4	अनिर्णीत	
16	पैरा–6.5	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
17	पैरा–6 (6) से (8)	अनिर्णीत	
18	पैरा–6.10	अनिर्णीत	
19	पैरा–6.11	अनिर्णीत	
20	पैरा–6.13	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
21	पैरा–6.14	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
22	पैरा–6.15	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
23	पैरा–6.17	अनिर्णीत	

24	पैरा—7.1	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
25	पैरा—7.2	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
26	पैरा—8.1	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
27	पैरा—8.2	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
28	पैरा—8.5	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
29	पैरा—8.8	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
30	पैरा—9.3	अंशतः निर्णीत	
31	पैरा—9.10	आंशिक निर्णीत	
32	पैरा—10	अनिर्णीत	
33	पैरा—11.1	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
34	पैरा—11.2	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
35	पैरा—12	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
36	पैरा—13	अनिर्णीत	

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/12 से 3/14

1	पैरा—3	निर्णीत	(अंकेक्षण फीस ₹40200 का भुगतान ड्राफ्ट संख्या 723714 दिनांक 5.10.2016 से कर दी गई है)
2	पैरा—4	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में कर दी गई है)

3	पैरा–5 (क)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में कर दी गई है)
4	पैरा–5 (ख)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में कर दी गई है)
5	पैरा–6	अनिर्णीत	
6	पैरा–7(क)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
7	पैरा–7 (ख)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
8	पैरा–7 (ग)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
9	पैरा–7 (घ)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
10	पैरा–7 (ङ)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
11	पैरा–7 (च)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
12	पैरा–8 (क)	निर्णीत	
13	पैरा–8 (ख)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
14	पैरा–9 (i)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में कर दी गई है)
15	पैरा–9 (ii)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में कर दी गई है)
16	पैरा–10	अनिर्णीत	
17	पैरा–11 (क)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
18	पैरा–11 (ख)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार

			पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
19	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत	
20	पैरा–11 (घ) (i, ii, iii)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
21	पैरा–12 (i,ii,iii)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
22	पैरा–13	अनिर्णीत	
23	पैरा–14	अनिर्णीत	
24	पैरा–15	अनिर्णीत	
25	पैरा–16 (क) से (ङ)	अनिर्णीत	
26	पैरा–17	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
27	पैरा–18	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
28	पैरा–19	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
29	पैरा–20 (क)	अनिर्णीत	
30	पैरा–20 (ख)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
31	पैरा–21 (क) से (ग)	अनिर्णीत	
32	पैरा–22 (क) (i, ii)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
33	पैरा–23	अनिर्णीत	
34	पैरा–24	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
35	पैरा–25 (क) (i से iv)	अनिर्णीत	
36	पैरा–26	अनिर्णीत	

37	पैरा–27	अनिर्णीत	
38	पैरा–28	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)
39	पैरा–29 (i, ii, iii)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तरों के आधार पर पैरे का समायोजन कर दिया गया)

एतराज सूचियाँ

अवधि	**पैरा**	**स्थिति**
9/73 से 3/76	1 से 17	अनिर्णीत
4/76 से 3/78	5 से 29	अनिर्णीत
4/78 से 3/81	1 से 5	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का सार

अवधि 3/14 तक अनिर्णीत पैरों की संख्या	265
4/14 से 3/16 तक निर्णीत पैरों की सं0	(–) 54
शेष पैरों की संख्या	211
वर्तमान अवधि में लगाए गए पैरे	(+) 14
कुल शेष पैरे	225